राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 39/2015/सीकर.
2. अपील संख्या – 40/2015/सीकर
3. अपील संख्या – 41/2015/सीकर
4. अपील संख्या – 42/2015/सीकर
5. अपील संख्या – 43/2015/सीकर
6. अपील संख्या – 44/2015/सीकर
7. अपील संख्या – 45/2015/सीकर
8. अपील संख्या – 46/2015/सीकर
9. अपील संख्या – 47/2015/सीकर
10. अपील संख्या – 48/2015/सीकर
11. अपील संख्या – 49/2015/सीकर
12. अपील संख्या – 50/2015/सीकर
13. अपील संख्या – 51/2015/सीकर
14. अपील संख्या – 52/2015/सीकर
15. अपील संख्या – 53/2015/सीकर
16. अपील संख्या – 54/2015/सीकर
17. अपील संख्या – 55/2015/सीकर
18. अपील संख्या – 56/2015/सीकर

मैसर्स महाराजा केबल, नेटवर्क, सीकर। .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–सीकर। ...प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री नत्थू राम – सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी.पी.ओझा
राजकीय उप अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13/02/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा उक्त अपीलें अपीलीय अधिकारी (तृतीय) वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर के अपील संख्या क्रमशः 27 से 44/अपील्स–तृतीय/13–14/ई में पारित अलग–अलग आदेश दिनांक 12.09.2014 के विरूद्ध राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम 1957 (जिसे आगे **'मनोरंजन कर अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 13बी के अन्तर्गत पृथक–पृथक प्रस्तुत की गयी हैं। इन सभी अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी वाणिज्यिक कर अधिकारी सीकर द्वारा अपीलार्थी–व्यवहारी को केबल सेवा का स्वत्वधारी मानते हुए सीकर शहर में केबल सेवा उपलबध करवाने के आधार पर राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(12)(14)वित्त डिवी/99–167 दिनांक 26.03.1999 एवं अधिसूचना संख्या एफ.4(12)(14)वित्त डिवी/2006–139 दिनांक 08.03.2006 के परिप्रेक्ष्य में 20/– रूपये प्रति कनेक्शन प्रति माह की दर से

20

लगातार 2

मनोरंजन कर देय होने का दायित्व अपने कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.10.2007 द्वारा माना। दिनांक 01.04.06 से 31.03.07 तक की अवधि का मूल कर निर्धारण दिनांक 30.10.07 को वार्षिक किया गया था जिसके विरूद्व अपीलार्थी–व्यवहारी संधोधित कर निर्धारण मासिक करने का अनुरोध किया गया क्योंकि अधिनियम के अन्तर्गत मासिक आधार पर कर निर्धारण का प्रावधान है। कर निर्धारण अधिकारी ने मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.10.07 में संशोधन कर माहवार आदेश पारित करते हुए 300 कनेक्शन पर 20/– प्रति माह की दर से राशि रू. 6000/– की गणना करके अधिनियम की धारा 13(3)(बी)(iii) के तहत शास्ति रू. 500/– प्रतिमाह आरोपित की तथा कर को अदेय मानते हुए ब्याज रू. 2520/– निर्धारित करते हुए वसूली योग्य राशि रू. 9020/– की मांग कायम की। कर निर्धारण अधिकारी के उपरोक्त आदेश के विरूद्व अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 26.09.11 द्वारा सृजित मांग को अपास्त कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को यह निर्देश देते हुए कि वे अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वर्णित बिन्दुओं पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत लेखा बहियात, रिकॉर्ड से इनकी विस्तृत एवं भौतिक जांच करने के उपरांत विधिक स्थिति के अनुसार विधिजन्य रूप से पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करे। अपीलीय अधिकारी के उपरोक्त आदेश दिनांक 26.09.11 के विरूद्व अपीलार्थी व्यवहारी ने माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष पुनः अपील प्रस्तुत की जिसमें निर्णय दिनांक 10.10.13 द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.09.11 को यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार की गई तथा रिमाण्ड आदेश की पालना हेतु निर्देशित किया। रिमाण्ड आदेश की पालना में वाणिज्यिक कर अधिकारी सीकर ने माह अप्रेल 2006 से सितम्बर 2007 तक 18 महिनों का 18 प्रकरणों में अलग–अलग कर निर्धारण करते हुए पूर्व आदेशों में कर व शास्ति को यथावत रखते हुए एवं ब्याज की गणना आदिनांक करते हुए वसूली योग्य राशि अलग–अलग कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.12.13 द्वारा निर्धारित की। उपरोक्त आदेशों दिनांक 23.12.13 के विरूद्व अलग–अलग अपीले संख्या 27 से 44/13–14 अधीनस्थ न्यायालय अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर

लगातार 3

जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होने अपीलवार निर्णय दिनांक 12.09.14 द्वारा इन निर्देशों के साथ कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित किये कि वे माननीय कर बार्ड के निर्णय अपील सं. 2347/2012/बीकानेर मैसर्स महाराजा केबल बीकानेर बनाम सहायक आयुक्त, वृत्त–बी, बीकानेर में पारित निर्णय दिनांक 23.06.14 के प्रकाश में व्यवसाई को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर मनोरंजन कर के बिन्दु पर पुनः विधिक आदेश पारित करें। अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा उपरोक्त आदेशों दिनांक 23.06.14 के विरूद्व ये अपीले क्रम सं. 39 से 56/2015 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। कर निर्धारण अधिकारी के इन आदेशों के तहत सृजित मनोरंजन कर, ब्याज व शास्ति कुल मांग राशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

अपील संख्या	अवधि	मनोरंजन कर	ब्याज	शास्ति	कुल मांग राशि (रू में)
39/15	अप्रेल, 06	6000	5460	500	11960
40/15	मई, 06	6000	5400	500	11900
41/15	जून, 06	6000	5340	500	11840
42/15	जुलाई, 06	6000	5280	500	11780
43/15	अगस्त, 06	6000	5220	500	11720
44/15	सितम्बर, 06	6000	5160	500	11660
45/15	अक्टूबर, 06	6000	5100	500	11600
46/15	नवम्बर, 06	6000	5040	500	11540
47/15	दिसम्बर, 06	6000	4980	500	11480
48/15	जनवरी, 07	6000	4920	500	11420
49/15	फरवरी, 07	6000	4860	500	11360
50/15	मार्च, 07	6000	4800	500	11300
51/15	अप्रेल, 07	6000	4740	500	11240
52/15	मई, 07	6000	4680	500	11180
53/15	जून, 07	6000	4020	500	**11120**
54/15	जुलाई, 07	6000	4560	500	11060
55/15	अगस्त, 07	6000	4500	500	11000
56/15	सितम्बर, 07	6000	4440	500	10940

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 4ए व 4एए के तहत अपीलार्थी का मनोरंजन कर भुगतान दायित्व नहीं है। इस संबंध में अग्रिम तर्क दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत स्टेट ऑफ वैस्ट बंगाल बनाम पूर्वी कम्प्यूनिकेशल प्रा. लि. (2005) 140 एसटीसी 154 एवं 31 टैक्स अपडेट 35 सिद्धांतों को उल्लेख किया

लगातार 4

कि अपीलार्थी (एमएसओ) पर मनोरंजन कर अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों के अनुसार अंकित शब्दावली के प्रकाश में लागू किये जाने योग्य नहीं है एवं अभिभाषक ने अपने कथन में मनोरंजन कर अधिनियम के तहत केबल सेवा प्रदान करने संबंधी सक्षम प्रावधान विधेयक 2011 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रतिस्थापित किये गये हैं इसलिए इसे संशोधित तिथि से पूर्व आरोपित मनोरंजन कर एवं ब्याज की देयता नहीं रहती है। तर्क के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (2002) सेल्स टैक्स टूडे 82 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री गंगानगर बनाम मैसर्स पेढीवाल आईस जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री का उद्धरित किया जिसके अनुसार राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1954 की धारा 5(3) व नियम 29(2) असंवैधानिक किये जाने के बाद में दिनांक 01.04.87 से भूलक्षीय प्रभाव से लागू करने पर ब्याज संशोधन के पश्चात आरोपणीय माना है। इसी संदर्भ में राजस्थान कराधान अधिकरण की खण्डपीठ एसटीआर नं. 291/96 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स विनोद कुमार पियूष कुमार में पारित निर्णय दिनांक 20.08.97 में भी उद्धरित किया है कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 1954 की धारा 5ए को दिनांक 01.04.90 के संशोधन द्वारा भूलक्षीय प्रभाव दिनांक 01.04.60 से लागू करने की स्थिति में ब्याज की देयता 01.04.09 के पश्चात् ही निर्णित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रिमाण्ड आदेशो की पालना नहीं की गई है। इन्होने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम 1957 की धारा 3 एएए के अन्तर्गत " केबल टेलीविजन नेटवर्क " की परिभाषा एवं अधिनियम की धारा 11(ए) के अन्तर्गत अभिदाता (Subscriber) की परिभाषा से स्पष्ट है कि अपीलार्थी अभिदाता को सीधे सिग्नल प्रेषित नहीं करता है जिससे वह केबल टेलीविजन नेटवर्क की श्रेणी में नहीं आता है। अतः उक्त विवेचना अनुसार अपीलार्थी पर आरोपित कर दायित्व अविधिक है जिसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक का कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी, जो कि मल्टी सिस्टम आपरेटर (M.S.O.) तथा केवल टेलीविजन नेटवर्क का स्वत्वधारी (Proprietor) हैं, द्वारा सब केबल ऑपरेटर को सिग्नल उपलब्ध करवाये जाते हैं तथा सब केबल ऑपरेटर इनटर्न इन सिग्नलों को

लगातार 5

उपभोक्ता के घर पर पहुंचाते हैं। इसलिए मनोरंजन कर अदायगी का दायित्व अपीलार्थी का है। आगे तर्क दिया कि केबल टेलीविजन नेटवर्क का स्वत्वधारी अपीलार्थी व्यवहारी ही है, जिसके द्वारा केबल सेवा जरिये सेटेलाईट से प्राप्त कार्यक्रमों के इलैक्ट्रोनिक सिग्नल्स को केबल ऑपरेटर्स को ट्रांसमिट किया जाता है। केबल ऑपरेटर्स के पास स्वतंत्र रूप से केबल टेलीविजन नेटवर्क नहीं होता। अभिदाताओं (Subscribers) को सिग्नल्स उपलब्ध कराये जाने संबंधी समस्त प्रणाली "केबल टेलीविजन नेटवर्क" के संचालन के लिये स्वत्वधारी अपीलार्थी व्यवहारी M.S.O. के उत्तरदायी होने के कारण मनोरंजन कर के संदाय के लिए भी वह दायित्वाधीन रहेगा। अतः अधिनियम की धारा 4 क क के अन्तर्गत केबल सेवा पर उद्ग्रहणीय मनोरंजन कर की अदायगी का दायित्व व्यवहारी M.S.O. का ही बनता है। इस संबंध में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का यह भी कथन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मै0 पूर्वी कम्युनिकेशन, 2005 (140) STC 154 में भी यही मत/सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। माननीय शीर्ष न्यायालय ने इण्डसीन्द मीडिया एण्ड कम्युनिकेशन लि0 बनाम् मामलातदार (31 टेक्स अपडेट–35) के मामले में पूर्वी कम्युनिकेशन के निर्णय की पुष्टि करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि M.S.O. मनोरंजन कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार, उक्त विधिक एवम् तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में, "मनोरंजन कर" के संदाय का भी कर दायित्व "व्यवहारी M.S.O." स्वयं का ही है। इन्होने यह भी कथन किया कि अपीलीय प्राधिकारी ने प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील में उठाये गये बिन्दुओं का निस्तारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जाना है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः अपील खारिज की जावें।

6. हमने पत्रावलियों का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी का अपील में मुख्य आधार यह है कि वह सैटेलाईट से टेलीविजन सिग्नल प्राप्त करता है तथा विभिन्न केबल ऑपरेटरों के माध्यस से केबल सेवा दी जाती है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ग्राहको को सीधे केबल सेवा नहीं दी जाती है। अपीलार्थी व्यवहारी एक ओर सिग्नल्स प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर केबल ऑपरेटरों को सिग्नल्स सप्लाई करता है जो एक प्रकार से Conduit की तरह है। अपीलार्थी व्यवहारी का कार्य

qm

लगातार 6

टेलीकम्यूनिकेटर का है न कि ऐन्टरटेनर का। अपीलार्थी व्यवहारी इसके लिए सेवा कर की अदायगी करता है तथा अपीलार्थी व्यवहारी अधिनियम के अन्तर्गत केबल टेलीविजन नेटवर्क की श्रेणी में नहीं आता है। शास्ति व ब्याज की देयता भी नहीं बनती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड आदेशों की पालना नहीं की गई है।

8. अधीनस्थ अपीलीय प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 12.09.14 द्वारा प्रकरणों को प्रतिप्रेषित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये है कि वे माननीय कर बोर्ड के निर्णय के प्रकाश में व्यवसाई को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर मनोरंजन कर के बिन्दु पर पुनः विधिक आदेश पारित करें। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रकरणों में गुणावगुण के आधार पर निर्णय होना शेष है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील में जो आधार लिये है उनके संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड का परीक्षण कर निर्णय किये जाने से अधिक न्यायोचित स्थिति बनती है। रिमाण्ड प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाता है व अपीलार्थी व्यवहारी उससे संतुष्ट नहीं होता है तो उसके समक्ष उच्चतर स्तर पर विधिक उपचार का विकल्प खुला रहता है। जिन बिन्दुओं का निर्धारण रिकॉर्ड के परीक्षण से होना चाहिए, उनका निस्तारण अपीलीय स्तर की अपेक्षा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जाना अधिक व्यवहारिक होता है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी का निर्णय युक्तियुक्त एवं विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

9. चूंकि अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रकरणों को रिमाण्ड किया गया है जिनमे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित होना है, अतः उपरोक्त समस्त अपीलें खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.09.14 यथावत रखे जाते है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के रिमाण्ड आदेशों की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी को निर्देश दिये जाते है कि वे कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 20.03.17 को पेश हो तथा कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त एवं विधिसम्मत अवसर प्रदान करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय शीघ्र पारित करें।

10. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य